श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

श्रमायुक्त– संगठन

मैनुअल– 8

संगठन से सम्बद्ध ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उनके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता की खुशी होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

Scanned with OKEN Scanner

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

(1)

बोर्ड

• **सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता**– राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड, उत्तराखण्ड, बैंककालोनी, अजयनकलां, देहरादून।

• **सम्बद्ध संस्था का प्रकार**– बोर्ड।

• **सम्बद्ध संस्था का परिचय**– स्थापना वर्ष 2001

• **उद्देश्य** :– संविदा श्रम अधिनियम, 1970 के प्रशासन से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर शासन को सलाह देना।

• **मुख्य कृत्य** :– संविदा श्रम अधिनियम, 1970 के प्रशासन से सम्वन्धित राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित प्रकारणों पर शासन को सलाह देना।

• **सम्बद्ध संस्था की भूमिका**– परामर्शदात्री

• **स्वरूप एव वर्तमान सदस्यः**– अध्यक्ष–1 सदस्य सचिव–1, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति–2, उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति–2, संविदाकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति–2, कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति–5, किसी अन्य हित का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति–1, कुल–14

• **मुख्य अधिकारी का नाम**– श्री कैलाश पन्त, अध्यक्ष राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड

• **मुख्य कार्यालय एव अन्य शाखाओं के पते** –कार्यालय अध्यक्ष, राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड, लेन नं0–01, मकान नं0– 17, शास्त्री नगर, देहरादून।

• **बैठक की आवृति**–राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर समय–समय पर ।

• **क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है**–प्रत्यक्ष रूप से नही किन्तु श्रमिकों एवं सेवायोजकों के प्रतिनिधि जो बोर्ड के सदस्य हैं,के रूप में भाग ले सकते हैं।

• **क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? यदि हां तो प्रक्रिया का विवरण**– सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारितं शुल्क जमा कर कार्यवृत्त की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

• **सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता–** उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

• **सम्बद्ध संस्था का प्रकार–** बोर्ड।

• **सम्बद्ध संस्था का परिचय–** स्थापना वर्ष 2002

• **उद्देश्यः–** न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण/पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासन को परामर्श देना।
मुख्य कृत्य :–न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन का निर्धारण/पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासन को परामर्श देना।

• **सम्बद्ध संस्था की भूमिका–** परामर्शदात्री

• **स्वरूप एवं वर्तमान सदस्यः–** अध्यक्ष–1, उपाध्यक्ष–1, सेवायोजक के प्रतिनिधि–6, श्रमिकों के प्रतिनिधि–7. स्वतंत्र प्रतिनिधि–1, कुल–16

• **मुख्य अधिकारी का नाम–** प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

• **मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते–** उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

• **बैठक की आवृति–** समय–समय पर ।

• **क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है–** प्रत्यक्ष रूप से नहीं किन्तु श्रमिकों एवं सेवायोजकों के प्रतिनिधि, जो बोर्ड के सदस्य हैं, के रूप में भाग ले सकते हैं।

• **क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? यदि हां तो प्रक्रिया का विवरण–** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यवृत्त की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

(3) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

• **सम्बद्ध संस्था का प्रकार–** बोर्ड

• **सम्बद्ध संस्था का परिचय–** स्थापना वर्ष 2005

• **उद्देश्यः–** निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ गठित योजनाओं का कार्यान्वयन करना ।

• **स्वरूप एवं वर्तमान सदस्यः**

(i) अध्यक्ष– 1 (अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव श्रम विभाग(पदेन) उत्तराखण्ड शासन।

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य– 1 (कल्याण आयुक्त, भारत सरकार कानून एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम कल्याण संगठन, देहरादून)

(iii) राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य– 3 (1. प्रमुख सचिव/सचिव वित या उनके द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी 2. प्रमुख राचिव/सचिव न्याय या उनके द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी 3. मुख्य निरीक्षक, भवन एवं अन्य सन्निर्माण, उत्तराखण्ड)

(iv) सेवायोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यः– 3

(v) श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यः– 3

• **मुख्य अधिकारी का नाम–** अध्यक्ष, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड/सचिव श्रम।

• **मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते–** उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

• **बैठक की आवृति–** समय–समय पर ।

• **क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है–** प्रत्यक्ष रूप से नहीं किन्तु श्रमिकों एवं सेवायोजकों के प्रतिनिधि, जो बोर्ड के सदस्य हैं, के रूप में भाग ले सकते हैं।

• **क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? यदि हां तो प्रकिया का विवरण–** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यवृत्त की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

समितियां

• **सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता–** कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने या निवारण करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र हेतु गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति, इन्दिरा नगर बसन्त विहार, देहरादून।

• **सम्बद्ध संस्था का प्रकार–** समिति।

• **सम्बद्ध संस्था का परिचय–** स्थापना वर्ष 2004

• **उद्देश्य :–** उत्तराखण्ड राज्य के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच–पड़ताल करने और उन्हें रोकने या निवारण करने तथा यौन उत्पीड़न की घटनाओं के समाधान एवं निपटान तथा अभियोजन की कार्यवाही करना।

• **मुख्य कृत्यः–**

1. कार्यस्थलों पर यौन उत्पीडन की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखना।

2. यौन उत्पीड़न की शिकार महिला अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा की गयी शिकायत पर तुरंत प्रभावी कार्यवाही करना, उन्हें सहायता और सुरक्षा पहुँचाने का कार्य।

3. उत्पीड़क के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही करने की अनुशंसा उनके सेवायोजकों को प्रेषित करना तथा अनुशंसाओं का प्रतिपालन सुनिश्चित कराना।

4. यदि प्रथम दृष्टया साबित हो जाये कि यौन उत्पीड़न में प्रतिष्ठान के सेवायोजक स्वंय लिप्त हैं, तो सतर्कता समिति ऐसे मामलों को शासन के संज्ञान में लायेगी, और आवश्यक कार्यवाही करेगी।

5. मण्डल स्तरीय सतर्कता समितियों के कार्यों का अनुश्रवण करना और यौन उत्पीड़न के मामलों में कृत–कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही की वार्षिक रिर्पोट राज्य सरकार को प्रेषित करना।

Scanned with OKEN Scanner

6. समय–समय पर राज्य सरकार को यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए सुझाव देना।

• **सम्बद्ध संस्था की भूमिका–** कार्यकारिणी

• **स्वरूप एवं वर्तमान सदस्यः–** अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष–1

• **मुख्य अधिकारी–** अध्यक्ष, यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु गठित औद्योगिक क्षेत्र की राज्य स्तरीय सतर्कता समिति, उत्तराखण्ड।

• **मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते–** इन्दिरा नगर बसंत विहार, देहरादून।

• **बैठक की आवृति–** समय–समय पर ।

• **क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है–**प्रत्यक्ष रूप से नहीं किन्तु श्रमिकों एवं सेवायोजकों के प्रतिनिधि जो समिति के सदस्य हैं, के रूप में भाग ले सकते हैं।

• **क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? यदि हां तो प्रक्रिया का विवरण–** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यवृत्त की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

2.

सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता– उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

सम्बद्ध संस्था का प्रकार–समिति।

सम्बद्ध संस्था का परिचय– स्थापना वर्ष 2024

उद्देश्यः–न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की अनुसूची के भाग–1 एवं 2 में अधिसूचित विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण/पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासन को परामर्श देना।

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य कृत्यः–न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की अनुसूची के भाग–1 एवं 2 में अधिसूचित विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण/पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासन को परामर्श देना।

सम्बद्ध संस्था की भूमिका– परामर्शदात्री

स्वरूप एवं वर्तमान सदस्यः– अध्यक्ष/सदस्य–1, सेवायोजक के प्रतिनिधि–6, श्रमिकों के प्रतिनिधि–6, केवल कृषि नियोजन के लिये श्रमिक प्रतिनिधियों की संख्या–4, कुल 17

मुख्य अधिकारी का नाम– श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते– कार्यालय श्रम आयुक्त, श्रम भवन नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

बैठक की आवृति– समय–समय पर।

क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है–प्रत्यक्ष रूप से नहीं किन्तु श्रमिकों एवं सेवायोजकों के प्रतिनिधि, जो समिति के सदस्य हैं, के रूप में भाग ले सकते हैं।

क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? यदि हां तो क्रिया का विवरण–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यवृत्त की प्रति प्राप्त कर सकते है।

3.

सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता– उत्तरांचल वैकुअम पैन चीनी मिल त्रिदलीय समिति, उत्तराखण्ड शासन।

सम्बद्ध संस्था का प्रकार– समिति।

सम्बद्ध संस्था का परिचय– स्थापना वर्ष 2004

उद्देश्यः– उत्तराखण्ड में वैकुअम पैन चीनी मिलों में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न संगठनों द्वारा सेवायोजकों एवं कर्मकारों के मध्य सौहार्द एवं सदभावनापूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना तथा दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का संराधन के द्वारा निस्तारण करना।

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य कृत्यः– प्रदेश के चीनी उद्योग के श्रमिकों के लिये वेतन आदि सुविधाओं के पुनरीक्षण पर विचार किया जाना।

सम्बद्ध संस्था की भूमिका– परामर्शदात्री

स्वरूप एवं वर्तमान सदस्यः– अध्यक्ष–1 सदस्य सचिव–1, सेवायोजक के प्रतिनिधि–7, श्रमिकों के प्रतिनिधि–7, कुल–16

मुख्य अधिकारी का नाम– श्रम सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।

मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते– विधानसभा, उत्तराखण्ड ।

बैठक की आवृति– समय–समय पर ।

क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है– प्रत्यक्ष रूप से नहीं किन्तु श्रमिकों एवं सेवायोजकों के प्रतिनिधि, जो समिति के सदस्य हैं, के रूप में भाग ले सकते हैं।

क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? यदि हां तो प्रक्रिया का विवरण– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यवृत्त की प्रति प्राप्त कर सकते है।

4.

- **सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता–** बंधुवा श्रम राज्य स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी, उत्तराखण्ड शासन।
- **सम्बद्ध संस्था का प्रकार–** समिति।
- **सम्बद्ध संस्था का परिचय–** स्थापना वर्ष 2005
- **उद्देश्यः–** बंधुवा श्रमिकों के चिन्हीकरण एवं पुनर्वासन कार्यों का पर्यवेक्षण।
- **मुख्य कृत्यः–** बंधुवा श्रमिकों के चिन्हींकरण एवं पुनर्वासन कार्यों का पर्यवेक्षण
- **सम्बद्ध संस्था की भूमिका–** कार्यकारिणी ।
- **स्वरूप एवं वर्तमान सदस्यः–** अध्यक्ष–1, सदस्य सचिव–1, स्वैच्छिक संस्थान के प्रतिनिधि–2, सामाजिक कार्यकर्ता–4, सरकार के प्रतिनिधि–8, कुल–16

Scanned with OKEN Scanner

• **मुख्य अधिकारी का नाम–** मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

• **मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते–** उत्तराखण्ड शासन।

• **बैठक की आवृति–** समय–समय पर ।

• **क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है–** प्रत्यक्ष रूप से नहीं किन्तु श्रमिकों एवं सेवायोजकों के प्रतिनिधि, जोसमिति के सदस्य हैं, के रूप में भाग ले सकते हैं।

• **क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? यदि हां तो प्रक्रिया का विवरण–** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यवृत्त की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

5.

• **सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता–** जिला स्तरीय बंधुवा श्रम सतर्कता समिति। (प्रत्येक जनपद में)

• **सम्बद्ध संस्था का प्रकार–** समिति।

• **सम्बद्ध संस्था का परिचय–** स्थापना वर्ष 2002

• **उद्देश्यः–** बंधुवा श्रमिकों के चिन्हींकरण एवं पुनर्वासन कार्यों का सर्वेक्षण एवं पर्यवेक्षण।

• **मुख्य कृत्यः–** बंधुवा श्रमिकों के चिन्हींकरण एवं पुनर्वासन कार्यों का सर्वेक्षण एवं पर्यवेक्षण।

• **सम्बद्ध संस्था की भूमिका–** कार्यकारिणी ।

• **स्वरूप एवं वर्तमान सदस्यः–** अध्यक्ष–1, अनुसूचितजाति एवंजनजाति के सदस्य –3, सामाजिक कार्यकर्ता– 2, ग्रामीण विकास से सम्बन्धित शासकीय व अशासकीय प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामित)–3, वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि 1, कुल 10

• **मुख्य अधिकारी का नाम–** सम्बन्धित जिलाधिकारी।

• **मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते–** जिला मुख्यालय।

• **बैठक की आवृति–** त्रैमासिक ।

• **क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है–** प्रत्यक्ष रूप से नहीं किन्तु श्रमिकों एवं सेवायोजकों के प्रतिनिधि, जो समिति के सदस्य हैं, के रूप में भाग ले सकते हैं।

• **क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? यदि हां तो प्रक्रिया का विवरण–** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यवृत्त की प्रति प्राप्त कर सकते हैं ।

Scanned with OKEN Scanner

6.

• **सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता–** परगना स्तरीय बंधुवा श्रम सतर्कता समिति। (प्रत्येक परगने में)

• **सम्बद्ध संस्था का प्रकार–** समिति।

• **सम्बद्ध संस्था का परिचय–** स्थापना वर्ष 2002

• **उद्देश्यः–** बंधुवा श्रमिकों के चिन्हींकरण एवं पुनर्वासन कार्यों का सर्वेक्षण एवं पर्यवेक्षण।

• **मुख्य कृत्यः–** बंधुवा श्रमिकों के चिन्हींकरण एवं पुनर्वासन कार्यों का सर्वेक्षण एवं पर्यवेक्षण

• **सम्बद्ध संस्था की भूमिका–** कार्यकारिणी ।

• **स्वरूप एवं वर्तमान सदस्यः–** अध्यक्ष–1 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य –3, सामाजिक कार्यकर्ता– 2, ग्रामीण विकास से सम्बन्धित शासकीय व अशासकीय प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामित) –3, वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि–1, धारा 10 के अन्तर्गत परगना में कार्यरत विनिर्दिष्ट अधिकारी–1, कुल–11

• **मुख्य अधिकारी का नाम–** सम्बन्धित परगना अधिकारी।

• **मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते–** परगना मुख्यालय।

• **बैठक की आवृति–** त्रैमासिक ।

• **क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है–** प्रत्यक्ष रूप से नहीं किन्तु श्रमिकों एवं सेवायोजकों के प्रतिनिधि जो समिति के सदस्य हैं, के रूप में भाग ले सकते हैं।

• **क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? यदि हां तो प्रकिया का विवरण–** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यवृत्त की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

• **नोटः–** बंधुवा श्रम (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा–13 की उपधारा–1 व 2 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के 13 जिलों की जिला स्तरीय एवं परगना स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन वर्ष 2002 में किया जा चुका है. जिनकी अवधि अपने गठन की अधिसूचना की तिथि से 2 वर्ष की होती है।

Scanned with OKEN Scanner

7.

परिषद

सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता– उत्तरांचल श्रम कल्याण परिषद्, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

सम्बद्ध संस्था का प्रकार– परिषद् ।

सम्बद्ध संस्था का परिचय– स्थापना वर्ष 2003

उद्देश्यः–श्रमिकों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं का संचालित करना।

मुख्य कृत्यः–श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु बैठक/सेमीनारों का आयोजन करना।

सम्बद्ध संस्था की भूमिका– प्रवन्धकारिणी

स्वरूप एवं वर्तमान सदस्यः अध्यक्ष–1 सदस्य सचिव–1, सेवायोजक के प्रतिनिधि–3, कर्मचारियों के प्रतिनिधि–1, स्वतंत्र प्रतिनिधि–2, कुल–8

मुख्य अधिकारी का नाम– प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते– उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

बैठक की आवृति– समय–समय पर ।

क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है– प्रत्यक्ष रूप से नहीं किन्तु श्रमिकों एवं सेवायोजकों के प्रतिनिधि, जो परिषद् के सदस्य हैं, के रूप में भाग ले सकते हैं।

क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? यदि हां तो प्रक्रिया का विवरण– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यवृत्त की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

8.

- **सम्बद्ध संस्था का नाम –** उत्तराखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड।
- **सम्बद्ध संस्था का प्रकार–** बोर्ड।
- **सम्बद्ध संस्था का परिचय–** स्थापना वर्ष 2024 (कार्यकाल तीन वर्ष)

उद्देश्य– पूर्व में प्रचलित असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 तथा वर्तमान में लागू सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रशासन से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर शासन को सलाह देना।

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य कृत्य– पूर्व में प्रचलित असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 तथा वर्तमान में लागू सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रशासन से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर शासन को सलाह देना।

सम्बद्ध संस्था की भूमिका– परामर्शदात्री।

- **स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य–** अध्यक्ष–1, सदस्य सचिव–1, असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य–7, असंगठित कर्मकार नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य–7, संबंधित राज्य की विधान सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य–2, नागरिक समाज के प्रख्यात व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य–5, राज्य सरकार के संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य–7।
- **मुख्य अधिकारी का नाम–** माननीय श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, बोर्ड अध्यक्ष।
- **मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते–** कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
- **बैठक की आवृत्ति–** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुसार तीन मास में कम से कम एक बार बैठक होगी एवं अध्यक्ष, जब भी उचित समझे तथा बोर्ड के कम से कम आधे सदस्यों के लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर 15 दिवस के भीतर विशेष बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है।
- **क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है–** प्रत्यक्ष रूप से नहीं किन्तु श्रमिकों एवं सेवायोजकों के प्रतिनिधि जो बोर्ड के सदस्य हैं, के रूप में भाग ले सकते हैं।
- **क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? यदि हां तो प्रक्रिया का विवरण–** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यवृत्त की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स (District Task Force – DTF)

1. परिचय

जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स एक बहु.विभागीय समन्वय व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य जिले में बाल श्रम की पहचान, रोकथाम, बचाव, कानूनी कार्रवाई और बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है।

पूरा नाम: जिला स्तरीय बाल श्रम कार्यबल

अंग्रेजी नाम: District Task Force on Child Labour

Scanned with OKEN Scanner

प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी: जिलाधिकारी (DM/Collector)

मुख्य विभाग: श्रम विभाग

कार्य क्षेत्र: जिला स्तर

2. स्थापना वर्ष

1986: बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम पारित हुआ।

2016: अधिनियम में महत्त्वपूर्ण संशोधन किए गए।

2017: संशोधित नियमों में जिला टास्क फोर्स से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

31 जुलाई 2018: भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए केंद्रीय स्तर की टास्क फोर्स के संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया।

नोट: जिला टास्क फोर्स की सटीक स्थापना तिथि संबंधित जिले के आधिकारिक गठन आदेश से प्रमाणित होगी।

3. जिला टास्क फोर्स की संरचना

जिलाधिकारी (DM/Collector): अध्यक्ष या प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्व।

नामित नोडल अधिकारी/श्रम अधिकारी: समन्वय, कार्यवाही की निगरानी और रिपोर्टिंग।

पुलिस विभाग: बचाव अभियान में सहयोग और कानूनी कार्रवाई।

श्रम विभाग: निरीक्षण, बाल श्रम की पहचान और श्रम कानूनों का प्रवर्तन।

शिक्षा विभाग: बच्चों को विद्यालय से जोड़ना।

बाल कल्याण समिति (CWC): बच्चों की देखभाल और संरक्षण संबंधी निर्णय।

जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU): बाल संरक्षण और पुनर्वास में समन्वय।

स्वास्थ्य विभाग: स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार।

समाज कल्याण विभाग: सरकारी योजनाओं से जोड़ना।

NGO और सामाजिक संगठन: जागरूकता, पहचान और पुनर्वास में सहयोग।

Scanned with OKEN Scanner

नोट: वास्तविक सदस्य संख्या और पद संबंधित शासनादेश के अनुसार अलग हो सकते हैं।

4. मुख्य उद्देश्य

1. जिले में बाल श्रम की पहचान और रोकथाम करना।
2. बाल श्रम की शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना।
3. संबंधित विभागों के समन्वय से बच्चों को श्रम से मुक्त कराने में सहायता करना।
4. बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल संरक्षण सेवाओं से जोड़ना।
5. कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कराना।
6. बचाए गए बच्चों के पुनर्वास की निगरानी करना।
7. परिवारों को पात्र सरकारी योजनाओं से जोड़ना।
8. बाल श्रम की पुनरावृत्ति रोकना और जन जागरूकता बढ़ाना।

5. बाल श्रम के प्रकार

1. घरेलू बाल श्रम: घरों में बच्चों से काम कराना।
2. औद्योगिक बाल श्रम: कारखानों और उत्पादन इकाइयों में काम कराना।
3. व्यावसायिक बाल श्रम: दुकानों, ढाबों और होटलों में काम कराना।
4. कृषि संबंधी बाल श्रम: खेतों और कृषि कार्यों में बच्चों से काम कराना।
5. खतरनाक कार्यों में किशोर श्रम: किशोरों को कानून द्वारा निषिद्ध खतरनाक कार्यों में लगाना।
6. बंधुआ बाल श्रम: बंधुआ श्रम जैसी शोषणकारी व्यवस्था में बच्चों से काम कराना।

6. कानूनी आयु संबंधी प्रावधान

Scanned with OKEN Scanner

बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर सामान्यतः प्रतिबंध है, हालांकि कानून में सीमित अपवाद हैं। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को कानून द्वारा निषिद्ध खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित नहीं किया जा सकता।

7. टास्क फोर्स की बैठक और कार्यवाही

1. बाल श्रम संबंधी शिकायतों और मामलों की समीक्षा।
2. बचाव अभियान की योजना बनाना।
3. विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियाँ तय करना।
4. बच्चों के पुनर्वास और विद्यालय में प्रवेश की समीक्षा।
5. लंबित कानूनी कार्रवाई और मुआवजे से संबंधित मामलों की समीक्षा।
6. संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और रोकथाम की योजना बनाना।

बाल श्रम संशोधित नियम, 2017 के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स की बैठक कम.से.कम प्रत्येक महीने एक बार आयोजित करने का प्रावधान बताया गया है।

8. प्रमुख कानून और व्यवस्थाएँ

1. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986।
2. बाल श्रम अधिनियम संशोधन, 2016।
3. बाल श्रम संशोधित नियम, 2017।
4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015।
5. बंधुआ मजदूरी पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976।
6. PENCIL पोर्टल: बाल श्रम संबंधी शिकायतों और प्रवर्तन में डिजिटल समन्वय।

Scanned with OKEN Scanner